

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा
पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या:- 72/2022

शिवशंकर पुत्र रामनाथ जाति जाट कुचेरा हाल चक 36 एलएलडब्ल्यू तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान ।

-- वादी

--बनाम:-

1. जसवन्त सिंह पुत्र रामनाथ जाति जाट (मिर्धा) साकिन मिर्धा का बास कुचेरा तहसील मुन्डावा जिला नागौर राजस्थान ।
2. रामसिंह पुत्र रामनाथ जाति जाट (मिर्धा) साकिन मिर्धा का बास कुचेरा तहसील मुन्डावा जिला नागौर राजस्थान ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा ।
4. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक ।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

दिनांक :-.....

वादीगण की ओर से श्री मदन लाल पारीक, प्रतिवादीगण की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत वाद मे तहसील पीलीबंगा प्रश्नगत रकबा निम्नानुसार डिक्री किया जाता है-

क-प्रथम पक्ष शिवशंकर का कब्जा काश्त -

चक 36 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 19/228 (6) किला नं. 2/1/.228, 2/2/.025 रास्ता, 3/1/.228, 3/2/.025 रास्ता, 8, 13, 18, 23, 24, 9/0.168, 17/.169 की 2.108 हैक्. नहरी मय रास्ता खातेदारी, चक 36 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 19/229 (11) किला नं. 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18, 23/.058 नहरी .018 हैक्. रास्ता दक्षिण दिशा में, 24/1/.020 नहरी 0.018 हैक्. रास्ता दक्षिण दिशा में, 5/0.017, 6/0.017, 15/0.017, 16/.016 की 1.952 हैक्. नहरी मय रास्ता का खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है।

ख-प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 1 जसवन्त सिंह का कब्जा काश्त

चक 36 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 19/228 (6) किला नं. 4/1/.228, 4/2/.025 रास्ता, 5/1/.228, 5/2/.025 रास्ता, 6, 7, 14, 15, 16, 25, 17/.084 की 2.108 हैक्. नहरी मय रास्ता खातेदारी, चक 36 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 19/229 (11) किला नं. 5/.236, 6/.236, 15/.236, 16/.237, 25/1/.013 की 0.958 हैक्. नहरी का खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है।

ग-प्रतिवादी द्वितीय पक्ष सं. 2 राम सिंह का कब्जा काश्त

चक 36 एलएलडब्ल्यू के प.नं. 19/228 (6) किला नं. 1/1/202, 1/2/.051 हैक्. रास्ता, 10/1/.228, 10/2/.025 रास्ता, 11/1/.228, 11/2/0.025 रास्ता, 12, 19, 20/1/.228, 20/2/.025 रास्ता, 21/1/.228, 21/2/.025 रास्ता, 22, 9/.085 की कुल 2.109 हैक्. नहरी मय रास्ता का खातेदार काश्ताकर घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होने तथा अन्य किसी भी न्यायालय को कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होने तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी / बारानी / गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसे किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 22/07/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई
सहायक कलक्टर ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा)